(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एंव उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाडा (राज.)

अजा अदालत उपखण्ड़ अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

श्री समता जाट   बनाम   जगनाथ जाट वगे0

किस्म मुकदमा ....प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट.. नं. 75 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमका जों इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/3/2021	प्रार्थीया जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ.टी.एक्ट प्रस्तूत कर एक पक्षीय बहस के तोर पर निवेदन किया गया की विवादित आराजियात ग्राम रामपुरिया उर्फ पायरा पटवार हल्का बालेसरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.में स्थित खतोनी संख्या 36 के आराजी नम्बर 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 161 , 162 , 163 , 164 , 165 , 166, 167 , 168 , 169, 170, 171, 172 , 173 , 174 , 175 , 176 , 304, 396/167 कुल किता 23 कुल रकबा 17.6542 हैक्टेयर आराजियात जो वर्तमान में विपक्षीगण सहखातेदार के नाम पर सयुक्त खातेदारी हक दर्ज राजस्व रिकार्ड है एक पक्षीय बहश के दोरान प्रार्थीया ने मार्फत अधिवक्ता कथन कर निवेदन किया कि विवाद ग्रस्त आराजियात प्रार्थीया ने कथनानुसारा मोरूसी सम्पत्ति है जिसमें की प्रार्थीया का बतौर प्रथम श्रेणी विधिक वारिस हक हिस्सा निहीत है। विपक्षी संख्या 08 प्रार्थीया के पिता है । प्रार्थीया विवादग्रस्त आराजियात पर हक हिस्से अनुसार काबिज हो उसका उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है मात्र राजस्व रिकार्ड में ईन्द्राज होने के कारण प्रार्थीया की पैत्रिक सम्पत्ति को विपक्षीगण विक्रय हस्तान्तरित एंव खुर्द बुर्द करने एंव प्रार्थीया को बेदखल करने पर आमादा है। यदि भविष्य में विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात से प्रार्थीया को बेदखल कर दिया जाता है या आरजियात का बैचान अन्तरण , हस्तान्तरण , रहन , बक्षीस व आदी कर दिया जाता है तो प्रार्थीया अपूर्णिय क्षति होगी व वादपत्र व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा । अत : प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत् पांबद किये जाने फरमावें। पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध आधार व परिवार का सजरा एंव राजस्व अभिलेख दस्तावेजात के अवलोकन / परिक्षण से यह प्रतित होता है कि यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया की पैतृक कब्जेसुदा आराजियात का बैचान कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीया के हक प्रभावित होगे यदपि विवादित आराजियात मौरूसी है अथवा विपक्षीगण द्वारा स्वअर्जित सम्पति यह सिद्व कराने का जिम्मा उभयपक्षो का रहेगा जिसका निर्धारण न्यायालय आगामी सुनवाई पर प्रस्तुत किया जाने वाले साक्ष्य अभिलेखो पर अध्ययन व मनन करने के पश्चात् ही कर सकेगा किन्तू फिर भी प्रार्थीया का इस विवादित आराजियात में किसी प्रकार का हक प्रभावित न हो व विवाद पर आंशिक रूप से विराम लगाया जा सके यह ध्यान में रखते हुए सुविधा व सन्तुलन की दृष्टी को मध्य नजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया बनता है अत : प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र इस आशय [illegible] कि प्रार्थनापत्र की चरण कालम संख्या 1 में वर्णित आराजिया ग्राम रा[illegible] पायरा पटवार हल्का बालेसरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा [illegible] स्थि[illegible] खतोनी संख्या 36 के आराजी नम्बर 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 16[illegible] 162 , 163 , 164 , 165 , 166, 167 , 168 , 169, 170, 171, 172 , [illegible] 174 , 175 , 176 , 304, 396/167 कुल किता 23 कुल [illegible] हैक्टेयर आराजियात पर भूमि के राजस्व रेकार्ड यथास्थिती बनाये रख[illegible]तु विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की आज्ञा पारि[illegible]की जाती है । प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को जरिये समन / नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 25 /3/2021 को पैश हो। उपखण्ड़ अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.08.03 17:01:44 IST
Reason: SelfAttested

Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...त .... मुकाम ....

.... बनाम ....

मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/7/22	पत्रावली से मूल वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 53 RJA के जरिये प्रा. पत्र द्वारा वादिनी समता पुत्री रामचन्द्र जाट के द्वारा Notepress है होने से प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 42 नम्बर से RJA को Note press कर शामिल कम कर दाखिल दफ्तर किया जाता है [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.08.03 17:01:44 IST
Reason: SelfAttested